निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-160/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक बाजपुर (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबन्धक बाजपुर (उधमसिंह नगर) के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष पाण्डेय वरि.ले.प. श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.03.2019 से 25.03.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हिमांशु मणि एवं श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2016 से 09.05.2016 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - तहसील बाजपुर एवं गदरपुर

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	1980.33
2016-17	1799.82
2017-18	1966.19

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16			शून्य					
2016-17								
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

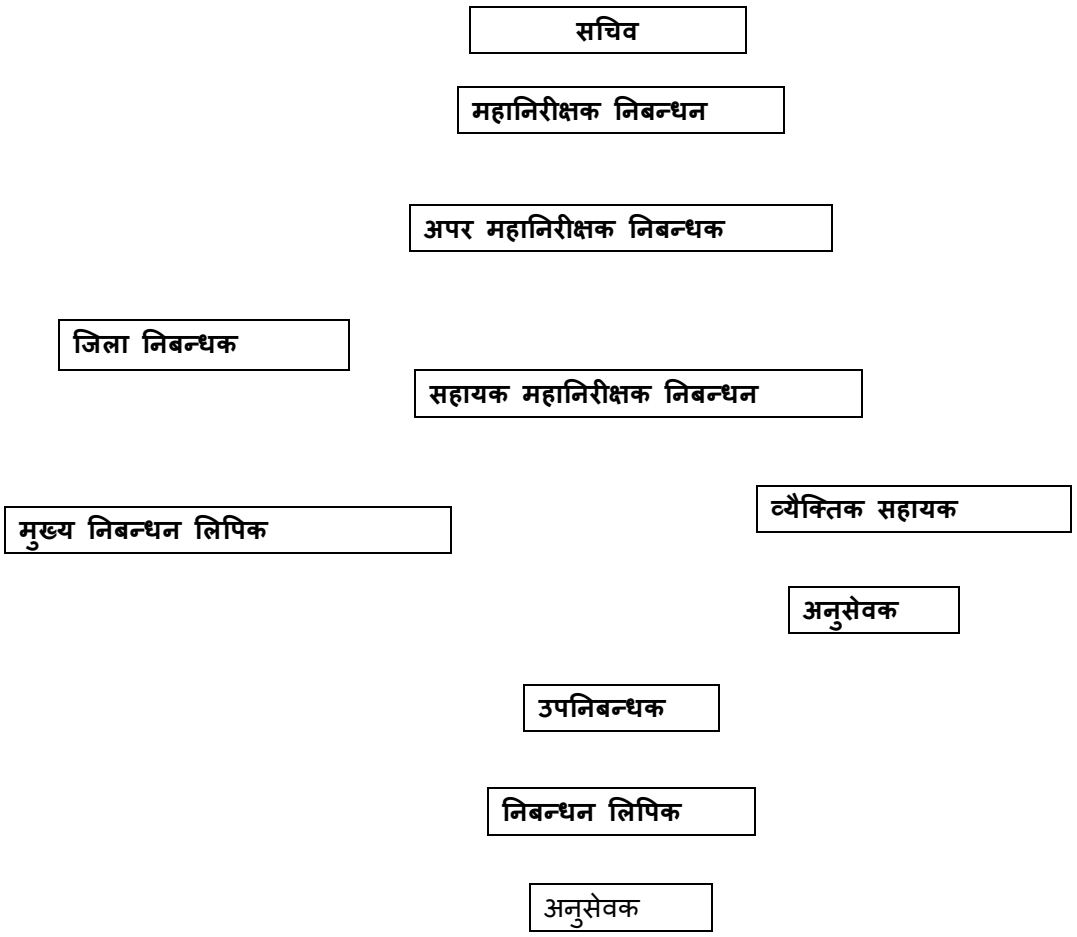

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हरिद्वार तहसील, लेनदेन लेखापरीक्षा यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक बाजपुर (उधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 06/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-1 स्टाम्प शुल्क कम लिये जाने के कारण राजस्व हानि ` 30,62,200/- ।

जनपद ऊधम सिंह नगर के लिए दिनांक 16 जून, 2016 से प्रभावी संशोधित मूल्यांकन सूची शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी संशोधित मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देशिका के क्रम 1 के अनुसार संपत्ति मूल्यांकन किये जाते समय मार्ग की चौड़ाई के अनुसार 5, 10 अथवा 15 प्रतिशत अधिक पर किया जाना था तथा सामान्य निर्देशिका क्रम संख्या 6 पर यह भी निर्देशित किया गया था कि उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थानो/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा । परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पदित किये गये लेखपत्रों के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना लेखपत्र में अनिवार्य होगा ।

कार्यालय उप निबंधक, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) के माह 04/2016 से 03/2018 तक की अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 2298 क्रमांक 2486 दिनांक 18.06.2016 को निबंधित विलेख में वर्णित सम्पत्ति का मूल्यांकन सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या 6 के अनुसार किसी औध्योगिक संस्था द्वारा निर्धारित दर इस प्रकरण में लागू नहीं थे अत: भूमि का मूल्याकंन संशोधित मूल्यांकन सूची के क्रम 1(क) पृष्ठ संख्या 36 पर काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग NH-74 के ग्राम बिचपुरी तहसील बाजपुर जिला-ऊधमसिंह नगर के अनुसार किया जाना था । सड़क की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक होने के कारण मार्गीय वृद्धि 15 प्रतिशत की दर से जोड़ा जाना था । अतः सड़क से 50 मीटर की दूरी तक लागू दर प्रति वर्गमीटर पर ` 7500 + 15% (road rider) के अनुसार ` 8625 प्रति वर्गमीटर भूमि का मूल्यांकन किया जाना था । भूमि का कुल मूल्यांकन 10,000 वर्ग मीटर x `8625 वर्गमीटर = ` 8,62,50,000 था जिसपर 5% की दर से स्टाम्प शुल्क ` 43,12,500/- लिया जाना था परंतु सम्पत्ति का शासन के निर्देशों से इतर मूल्यांकन पृष्ठ 89 पर उल्लिखित अर्धनगरीय क्षेत्रों की दर ` 2500 प्रति वर्गमीटर किया गया था मात्र ` 2,50,00,000 किया गया था तथा स्टाम्प शुल्क ` 12,50,500/- ही भुगतान किया गया

पाया । इसप्रकार, स्टाम्प शुल्क ` 30,62,200 स्टाम्प शुल्क कम लिये जाने के कारण राजस्व हानि हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लेखपत्र में लिया गया स्टाम्प शुल्क शासन द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार लिया गया है । अन्तरित सम्पत्ति व्यक्ति विशेष की है न कि क्रम संख्या 6 के अनुसार अंकित संस्थानों की लेखपत्र में अन्तरित सम्पत्ति में देय शुल्क जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सर्किल दर के अनुसार उचित है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त भूमि न तो औद्योगिक नोटिफाईड एरिया के अन्तर्गत है और न ही कॉलम 6 में अंकित संस्थानों के दरों पर निबंधित की जा रही थी इसलिए इस भूमि पर सामान्य अकृषि दर पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाना था पुनः शासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत road rider भी नहीं लिया गया। उक्त सम्पत्ति पर मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 36 के क्रम 1(क) की दर लागू होगी ।

इस प्रकार, भूमि का मूल्यांकन निर्धारित दर से न किये जाने के कारण ` 30,62,200/- स्टाम्प शुल्क की राजस्व हानि हुई ।

अतः उक्त स्टाम्प की कमी का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-2 अनियमित नगद भुगतान रु 175.00 लाख।

Section 269SS of Income Tax prohibits a taxpayer from taking accepting loans or deposits or a sum of more than Rs. 20,000/-in cash. All loans and deposits of more than Rs. 20,000/- must always be taken through a banking channel.

By way of dealings in cash in immovable property transactions, sections 269SS and 269T have been amended with effect from June 1, 2015, if the amount of such loan or deposit or such specified sum is ` 20,000 or more. Likewise or aggregate amount of loans or deposits or specified advances is ` 20,000 or more, mean any sum of money in the nature of an advances, by whatever name called, in relation to transfer of an immovable property whether or not the transfer takes place. Consequential amendments have been made to sections 271D and 271E to provide penalty for failure to comply with the amended provisions of section 269SS and 269T, respectively.

Amendments to sections 271D and 271E

Section 271D provides that if a person accepts any loan or deposit in contravention of the provisions of section 269SS, he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to the amount of the loan or deposit so accepted. Likewise, section 271E provides that if a person repays any loan or deposit referred to in section 269T otherwise than in accordance with the. These two sections have been amended with effect from June 1, 2015 to incorporate the reference of "specified sum" in section 271D and "specified advance" means any sum of money in the nature of an advance, by whatever name called, in relation to transfer of an immovable property whether or not the transfer takes place.

कार्यालय उप निबंधक, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) के माह 04/2016 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं0 1, जिल्द 2292 क्रमांक 2360 दिनांक 01.06.2016 विलेख में कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ विक्रय भूमि की का विक्रय बैनामा रु0 45,00,000 पर किया गया था जिसमें से रु0 15,00,000 का भुगतान नकद किया गया था जो आयकर के section 269ss के विरुद्ध था।

(ख) इसीप्रकार, एक अन्य विलेख बही सं0 1, जिल्द 2298 क्रमांक 2486 दिनांक 18.06.2016 को निबंधित किया गया जिसमें तीन विक्रेता थे जिन्हें रु0 160,00,000 का कुल भुगतान नकद राशि में किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि विक्रेता पक्ष, क्रेता पक्ष

जो एक फ़र्म थी में पार्टनर थी अत; फ़र्म के दोनों पक्षों में समान लोग क्रेता एवं विक्रेता थे। अत: नकद भुगतान विलेख पंजीयन सेक्शन 269 ss के विरुद्ध था। अत; section 271/E के अनुसार नकद भुगतान के समान राशि पर 100 % अर्थ दंड आरोपित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि लेखपत्रों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन औद्योगिक मैनुअल 1908 कि विभिन्न धाराओं तथा नियमो के प्रविधानानुसार पंजीकृत किया जाता है जिसमें नियम 241 उल्लेखनीय है। जिसके अनुसार लेखपत्र इस कारण से इंकार करना त्रुटिपूर्ण है विक्रय धन का रहरण नकद में हुआ अत: बिन्दु निक्षेपित होने योग्य है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलेख द्वारा आयकर की धारा 269 SS का उल्लंघन किया गया था निबंधक को प्रकरण पंजीकृत करते हुए आयकर के समक्ष एवं विंभागीय उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार रु 15.00 लाख + रु 160.00 लाख कुल का प्रकरण शासन के रु 175.00 लाख के अनियमित नगद भुगतान संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 निबन्धन शुल्क नहीं जमा किये जाने के कारण ` 1.00 लाख की राजस्व हानि ।

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी ।

(1) कार्यालय उप निबंधक, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) के माह 04/2016 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 2273 क्रमांक 1722 दिनांक 07.04.2016 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में विक्रेता दो अलग-अलग हैं और वे अपने-अपने हिस्से की जमीन का विक्रय कर रहे हैं जिसका उल्लेख उद्धरण खतौनी में दर्शाया गया है जिसके कारण दो निबन्धन शुल्क लिया जाना चाहिये था, परन्तु विभाग द्वारा एक ही निबन्धन शुल्क ` 25,000 ही लिया गया था । जबकि निबन्धन शुल्क ` 50,000 लिया जाना चाहिये था । इस प्रकार, ` 25,000 निबन्धन शुल्क की कमी पायी गयी थी ।

(2) बही सं० 1, जिल्द 2315 क्रमांक 3052 दिनांक 19.07.2016 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में विक्रेता दो अलग-अलग हैं और वे अपने-अपने हिस्से की जमीन का विक्रय कर रहे हैं जिसका उल्लेख उद्धरण खतौनी में दर्शाया गया है जिसके कारण दो निबन्धन शुल्क लिया जाना चाहिये था, परन्तु विभाग द्वारा एक ही निबन्धन शुल्क ` 25,000 ही लिया गया था । जबकि निबन्धन शुल्क ` 50,000 लिया जाना चाहिये था । इस प्रकार, ` 25,000 निबन्धन शुल्क की कमी पायी गयी थी ।

(3) बही सं० 1, जिल्द 2275 क्रमांक 1795 दिनांक 18.04.2016 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में विक्रेता तीन अलग-अलग हैं और वे अपने-अपने हिस्से की जमीन का विक्रय कर रहे हैं जिसका उल्लेख उद्धरण खतौनी में दर्शाया गया है जिसके कारण तीन निबन्धन शुल्क लिया जाना चाहिये था, परन्तु विभाग द्वारा एक ही निबन्धन शुल्क ` 25,000 ही लिया गया था । जबकि निबन्धन शुल्क ` 75,000 लिया जाना चाहिये था । इस प्रकार, ` 50,000 (` 75,000 - ` 25,000) निबन्धन शुल्क की कमी पायी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने प्रकरण (1) के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विक्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से विक्रय की गई है जिसका उल्लेख लेखपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है तथा क्रेता श्री दीपक चन्द्र द्वारा सम्पत्ति क्रय/अन्तरण भी संयुक्त रूप से किया गया है । उद्धरण खतौनी लेखपत्र का भाग नहीं है, ना ही लेखपत्र में विक्रेताओं का अंश खुला हुआ है तथा निबन्धन शुल्क विधि अनुसार लिया गया है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्धरण खतौनी में विक्रेताओं को अलग-अलग दर्शाया गया है । जिससे स्पष्ट होता है कि उनका भाग अलग-अलग है, इसलिये दो निबन्धन शुल्क लिया जाना चाहिये था जो नहीं लिया गया था ।

प्रकरण (2) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि क्रेता एक ही व्यक्ति है जो विक्रेताओं से संयुक्त रूप से सम्पत्ति क्रय कर रहा है तथा लेखपत्र पर अधिकतम निबन्धन शुल्क ` 25,000 क्रेता द्वारा अदा किया गया है । जो विधि अनुसार सही एवं उचित है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्धरण खतौनी में विक्रेताओं को अलग-अलग दर्शाया गया है । जिससे स्पष्ट होता है कि उनका भाग अलग-अलग है, इसलिये दो निबन्धन शुल्क लिया जाना चाहिये था जो नहीं लिया गया था ।

प्रकरण (3) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विक्रेतागण संयुक्त रूप से सह-खातेदार हैं । अतः निबन्धन शुल्क नियमानुसार ली गयी है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्धरण खतौनी में विक्रेताओं को अलग-अलग दर्शाया गया है । जिससे स्पष्ट होता है कि उनका भाग अलग-अलग है, इसलिये तीन निबन्धन शुल्क लिया जाना चाहिये था जो नहीं लिया गया था ।

इस प्रकार, उक्त तीनों प्रकरणों में ` 1,00,000 (` 25,000 + ` 25,000 + ` 50,000) की निबन्धन शुल्क कम लिये जाने के कारण राजस्व की हानि हुई ।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-2 नियमानुसार स्टाम्प शुल्क नहीं लिये जाने के कारण ` 1.89 लाख की राजस्व हानि ।

मूल्यांकन सूची दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी जारी की गयी थी । क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित किया गया था कि उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थानो/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा । परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पदित किये गये लेखपत्रों के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना लेखपत्र में अनिवार्य होगा ।

कार्यालय उप निबंधक, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) के माह 04/2016 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 2347 क्रमांक 4451 दिनांक 16.09.2016 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति को हस्तान्तरण में मूल्यांकन दर औद्योगिक एरिया की दर से गणना की गयी है । जबकि उक्त भूमि नोटिफाईड औद्योगिक एरिया में नहीं आती है । कार्यालय से जिलाधिकारी द्वारा निर्गत औद्योगिक एरिया का खसरा सूची मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी और भूमि औद्योगिक नोटिफाईड एरिया में थी अथवा नहीं? इकाई द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया । उक्त विलेख में भूमि का मूल्यांकन औद्योगिक एरिया की दर ` 2,500 से गणना की गयी थी । जबकि भूमि की गणना जिलाधिकारी द्वारा निर्गत दर सूची के पृष्ठ संख्या 38 के कॉलम 8 पर ` 4,400/अकृषि की दर से गणना की जानी चाहिये थी जो नहीं की गयी, जिसके कारण स्टाम्प की कमी पायी गयी ।

उक्त विलेख की स्टाम्प शुल्क की गणना निम्नवत् होगीः-

भूमि का क्षेत्रफल 1990.70 वर्गमीटर

दर ` 4,400

मूल्यांकन की धनराशि ` 87,59,080 (1990.70 वर्गमी0 x ` 4,400)

स्टाम्प शुल्क = ` 4,37,954 (` 87,59,080 x 5%)

जमा स्टाम्प शुल्क ` 2,49,000 ।

स्टाम्प की कमी ` 1,88,954 (` 4,37,954 - ` 2,49,000)

इस प्रकार, विलेख में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किये जाने के कारण ` 1,88,954 की स्टाम्प कमी पायी गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, बाजपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया गया है न कि आवासीय धारा 143 के अन्तर्गत कृषि बागवानी और पशुपालन से असम्बद्ध प्रयोजन की बात कही गयी है और निश्चित ही भूमि का उपयोग उद्योग या निवास के प्रयोजनार्थ अवश्य ही गैर कृषि आदि प्रयोजन में आ जाता है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न्यायालय सहायक कलेक्टर, बाजपुर ने अपने आदेश राजस्व वाद संख्या 22/402 वर्ष 2015-16 के द्वारा भूमि को अकृषक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है न कि औद्योगिक । जिलाधिकारी द्वारा निर्गत औद्योगिक एरिया का खसरा सूची में उक्त खाता संख्या, खसरा संख्या न होने के कारण भूमि को औद्योगिक नोटिफाईड एरिया की निर्धारित दर से गणना किया जाना अनियमित है ।

इस प्रकार, अनियमित दर से भूमि का मूल्यांकन किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क ` 1,88,954 की राजस्व हानि हुई ।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब
64ए/1988-89	1	-	-	-	1	-
118बी/1989-90	1	-	-	-	1	-
31/1998-99	1,2	-	-	-	1,2	-
60/1999-2000	1,2,3	-	-	-	1,2,3	-
320/2001-02	-	1	-	-	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
SR-60/1999-2000	भाग-2 (क) प्रस्तर 2		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक बाजपुर (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री शंकर सिंह नेगी	उपनिबंधक
(ii)	श्री कृष्ण कुमार	प्रभारी उपनिबंधक
(iii)	श्री धर्म सिंह नेगी	उपनिबंधक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबन्धक बाजपुर (उधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र